राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

एफ 23 (46)/लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/विविध/2023–24/ई–08579/ दिनांकः–यथा हस्ताक्षरित

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य
वित्त पोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय
राजकीय/निजी महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :–कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, जनजाति/सहरिया छात्रों हेतु आर्थिक सहायता योजना, उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यकता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना वर्ष 2025–26 हेतु **प्रचार, प्रसार** के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– विभाग का राजकाज क्रमांक 17828287 दिनांक 18.09.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, जनजाति/सहरिया छात्रों हेतु आर्थिक सहायता योजना, उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यकता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना वर्ष 2025–26 हेतु दिनांक 23.09.2025 से 31.10.2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है।

गत वर्षो में प्रायः देखा गया है कि छात्र/छात्राओं हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित उपरोक्त छात्रवृत्ति/स्कूटी योजना के प्रचार–प्रसार एवं जानकारी के अभाव में ऑनलाईन आवेदन नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन एवं छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाते है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार की विभाग द्वारा संचालित उक्त योजनाओं के लाभ को समस्त छात्र/छात्राओं को जानकारी देने एवं प्रचार–प्रसार करने के लिए **बैनर**, **स्थानीय समाचार पत्रों/स्थानीय ईलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया**, **महाविद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं हेतु निर्मित व्हाट्सप–ग्रुप**, **सूचना पट्ट, वेबसाईट, पेम्पलेट** इत्यादि का उपयोग किया जावें। जिससे अधिक से अधिक योग्य छात्र–छात्राएं उपरोक्त योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन कर सकें।

संयुक्त निदेशक, छात्रवृति
कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

एफ 23 (46)/लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/विविध/2023–24/ई–08579/ दिनांकः–यथा हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा।
3. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक, छात्रवृति

Signature valid
Digitally signed by Mukulree Lal Dayma
Designation : Joint Director
Date: 2025.10.16 17:45:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18387075
eSign 1.0

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2024–25/08436/ दिनांक –

छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल दिनांक–23.09.2025 से 31.10.2025 तक खोला जाता है –

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
2.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
3.	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
4.	**कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :–** 1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उतीर्ण 2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) 3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग) 5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
5.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
6	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
7	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
8	सहरिया जनजाति छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता	2025–26	23.09.2025	31.10.2025
9	सहरिया छात्र–छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	2025–26	23.09.2025	31.10.2025

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित

Signature valid

Digitally signed by Muraree Lal Dayma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.18 13:05:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17828287

eSign 1.0

/अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, परिपत्र क्रमांक–955 दिनांक–30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Murree Lal Dayma
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.18 13:05:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17828287
eSign 1.0